राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1751/2024

कुशुमलता शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. पी.एम.ओ., उप जिला अस्पताल, नैनवा, जिला बूंदी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 06.05.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.04.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा उप जिला अस्पताल, जिला बूंदी में प्रसूता के खुले में बैंच पर प्रसव होने के मामले में अपीलार्थी को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.05.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ए.एन.एम. के पद पर कार्य करते हुए लम्बे समय से एलएचवी पद का प्रभार भी उनके पास था। विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी का कार्य हमेशा संतोषजनक रहा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ती प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये है (अनुलग्नक—3)। अपीलार्थी द्वारा चिकित्सालय में डिलिवरी हेतु जो भी भर्ती होती है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही है। दिनांक 21.04.2024 को उक्त महिला रूटिन चेकअप के लिए आयी थी, उनकी भर्ती अस्पताल में नहीं हुई थी। उक्त महिला इन्डोर पेसेन्ट नहीं थी, इसलिए ओपीडी के पेसेन्टों की जिम्मेदारी अपीलार्थी की नहीं है। यह जानकारी आने पर एक महिला ने चिकित्सालय की बैंच पर बच्चे को जन्म दिया है। उक्त महिला को डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती किया तथा दवा दी

जाकर देखभाल की गई। अपीलार्थी ए.एन.एम के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर द्वारा जो भी दवाई एवं ईलाज किये जाने के निर्देश दिये अपीलार्थी द्वारा अपना कर्त्तव्य पूर्ण ईमानदारी से निभाया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर एवं नोटिस दिये बिना निलम्बन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी एवं डॉक्टर के संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा दिनांक 24.04.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं उपखण्ड अधिकारी, नैनवा, बूंदी को ज्ञापन देकर बहाल करने का निवेदन किया गया। उक्त घटना का स्थानीय मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि जांच दोषपूर्ण थी और निर्दोष व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है (अनुलग्नक–5)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.04.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.05.2024 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को निरन्तर उप जिला अस्पताल, नैनवा, जिला बूंदी में कार्य करने दिया जावे वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी उपजिला चिकित्सालय नैनवां में दिनांक 21.04.2024 को प्रातःकालीन डयूटी पर थी। गर्भवती महिला अनिता पत्नि श्री सत्यनारायण बंजारा के खुले में प्रसव की घटना हुई घटना में अपीलार्थी की अकर्मणयता की वजह से लापरवाही मानकर संयुक्त निदेशक एवं उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा घटना की जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को दोषी माना गया। विभागीय तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने भी अपीलार्थी को दोषी माना है । जांच कमेटी ने अपीलार्थी सहित 9 कार्मिकों को घटना का दोषी मानते हुये उनके खिलाफ कार्यवाही की अनुशषां की जिसके पश्चात् अपीलार्थी के निलम्बन सम्बन्धित आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी को जांच कमेटी के निष्कर्ष के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निलम्बित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अपीलार्थी उपजिला चिकित्सालय नैनवां में दिनांक 21.04.2024 को प्रातःकालीन डयूटी पर थी। गर्भवती महिला अनिता पत्नि श्री सत्यनारायण बंजारा के खुले में प्रसव की घटना हुई घटना में अपीलार्थी की अकर्मणयता

की वजह से लापरवाही मानकर संयुक्त निदेशक एवं उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा घटना की जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को दोषी माना गया। विभागीय तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने भी अपीलार्थी को दोषी माना है। जांच कमेटी ने अपीलार्थी सहित 9 कार्मिकों को घटना का दोषी मानते हुये उनके खिलाफ कार्यवाही की अनुशषां की जिसके पश्चात् अपीलार्थी के निलम्बन सम्बन्धित आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी को जांच कमेटी के निष्कर्ष के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निलम्बित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है, इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम निलम्बन आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य